


**कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।**  
**आदेश संख्या/०४वे०स्थाप०/ 123 /स्थाना०/२०२४-२५ दिनांक 19 जुलाई 2024**  
**अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के प्राविधानानुसार स्थानांतरण सत्र 2024-25 हेतु गठित विभागीय स्थानांतरण समिति की संस्तुति तथा शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक व सतकर्तता अनुभाग-2, दिनांक 14 मार्च 2024, शासनादेश संख्या/221278/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024 एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक/विविध/2116-22/स्था०वैठक/2024-25 दिनांक 02.05.2024 के क्रम में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/प्रा०शि०-दो(5)/770-2024/19605-15/2023-24 दिनांक 16 मार्च 2024 एवं पत्रांक-1344-46 दिनांक 04 मई 2024 तथा सचिव माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या/1016/XXIV-B-1/24/07(04)/2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 के अनुपालन में की गई कांउसिलिंग उपरान्त वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम-2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं का अनिवार्य स्थानांतरण सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में किया जाता है।

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
1	2	3	4
1	कमला कण्डारी, सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० भदालीखाल, दुगड़डा	रा०उ०प्रा०वि० डबराड, रिखणीखाल

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-


1. समस्त स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकायें स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत स्थानांतरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले शिक्षक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
5. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।  
उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

  
 (नागेन्द्र बर्त्वाल)  
 जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
 पौड़ी गढ़वाल।

पू०सं०/०४ वे०स्थाप०/ 2696-2708 /स्थाना०/२०२४-२५ दिनांक उक्तवत्।  
 प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- अपरजिलाधिकारी पौड़ी।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 5- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 6- जिला पर्यटन विकास अधिकारी जनपद पौड़ी।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।

- 8- सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 10- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि एकल अध्यापक को कार्यमुक्त प्रतिस्थानी के आने अथवा निकटवर्ती विद्यालय से अध्यापक की व्यवस्था करने के उपरान्त ही करें, यह ध्यान रखें कि कोई भी एकल विद्यालय बन्द न हो।
- 11- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 12- स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 13- कार्यालय पन्नावली।

  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।



**कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।**  
 आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/ **124** /स्थाना0/2024-25 दिनांक **19** जुलाई 2024  
**अनुरोध स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के प्राविधानानुसार स्थानांतरण सत्र 2024-25 हेतु गठित विभागीय स्थानांतरण समिति की संस्तुति तथा शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक व सतकर्तता अनुभाग-2, दिनांक 14 मार्च 2024, शासनादेश संख्या/221278/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024 एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक/विविध/2116-22/स्था0बैठक/2024-25 दिनांक 02.05.2024 के क्रम में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/प्रा0शि0-दो(5)/770-2024/19605-15/2023-24 दिनांक 16 मार्च 2024 एवं पत्रांक-1344-46 दिनांक 04 मई 2024 तथा सचिव माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या/1016/XXIV-B-1/24/07(04)/2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 के अनुपालन में की गई काउंसिलिंग उपरान्त वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम-2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं का अनुरोध के आधार पर (निजी व्यय) उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में स्थानांतरित किया जाता है।

**स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0**

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/विषय	कार्यरत विद्यालय/विकास खण्ड का नाम	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	स्थानांतरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	प्रेमलता शाह, सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 कदूली, खिर्सू	रा0उ0प्रा0वि0 रामजीवाला, यमकेश्वर	गम्भीर बीमारी
2	सुरेन्द्र सिंह बिष्ट, विज्ञान/गणित	रा0उ0प्रा0वि0 पीड़ा, जयहरीखाल	रा0उ0प्रा0वि0 धौलखेतखाल, जयहरीखाल	गम्भीर बीमारी
3	भारत भूषण रावत, विज्ञान/गणित	रा0उ0प्रा0वि0 पटोटी, पाबौ	रा0उ0प्रा0वि0 पैडुल, पौड़ी	गम्भीर बीमारी
4	रोहिताश कुमार रवि, विज्ञान/गणित	रा0उ0प्रा0वि0 सलौन, थलीसैण	रा0उ0प्रा0वि0 मैन्दोली, जयहरीखाल	दिव्यांगता
5	विपिन चन्द्र रांगण, विज्ञान/गणित	रा0उ0प्रा0वि0 भैलासैण, थलीसैण	रा0उ0प्रा0वि0 ननकोट, पौड़ी	गम्भीर बीमारी
6	अंजना सिंह कण्डवाल, विज्ञान/गणित	रा0उ0प्रा0वि0 चामसैण, नैनीडांडा	रा0उ0प्रा0वि0 कुण्ड, यमकेश्वर	गम्भीर बीमारी
7	सुमनलता, हिन्दी	रा0उ0प्रा0वि0 शक्तिखाल, यमकेश्वर	रा0उ0प्रा0वि0 सिरासू, यमकेश्वर	पति-पत्नी
8	प्रदीप चन्द्र, सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 डियूल्ड, एकेश्वर	रा0उ0प्रा0वि0 धरासू, एकेश्वर	पति-पत्नी
9	हेमलता, सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 मरोड़ा बाडियूं, कल्जीखाल	रा0उ0प्रा0वि0 चुब्याणी, यमकेश्वर	वरिष्ठ कार्मिक
10	मंजू नेगी, हिन्दी	रा0उ0प्रा0वि0 पांग, पाबौ	रा0उ0प्रा0वि0 पैडुल, पौड़ी	वरिष्ठ कार्मिक
11	सतीशचन्द्र काला, सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 खुटिडा, नैनीडांडा	रा0उ0प्रा0वि0 नौणियाखेत, नैनीडांडा	दुर्गम से दुर्गम
12	सत्यप्रकाश, विज्ञान/गणित	रा0उ0प्रा0वि0 तिमली, पाबौ	रा0उ0प्रा0वि0 चैड, पाबौ	दुर्गम से दुर्गम
13	सुरेश कुमार पांथरी, विज्ञान/गणित	रा0उ0प्रा0वि0 चौडखाल, एकेश्वर	रा0उ0प्रा0वि0 जैतोली मल्ली, एकेश्वर	दुर्गम से दुर्गम
14	हरिचरण, हिन्दी	रा0उ0प्रा0वि0 रीशी, पाबौ	रा0उ0प्रा0वि0 डुग्रीखाल, पाबौ	दुर्गम से दुर्गम
15	विनोद कुमार बौडाई, सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 घोबीघाट, बीरौखाल	रा0उ0प्रा0वि0 भैडगांव, थलीसैण	दुर्गम से दुर्गम
16	अनिल कुमार चमोली	रा0उ0प्रा0वि0 भनरखाल, थलीसैण	रा0उ0प्रा0वि0 स्योली मल्ली, थलीसैण	दुर्गम से दुर्गम

*स्व*


*स्व*

17	बाल गोविन्द, सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 गढकोट, बीरौंखाल	रा0उ0प्रा0वि0 बगरखाल, रिखणीखाल	दुर्गम से दुर्गम
18	यशवन्त सिंह, विज्ञान/गणित	रा0उ0प्रा0वि0 कोठी, कोट	रा0उ0प्रा0वि0 खाण्डा, कोट	दुर्गम से दुर्गम
19	रामेश्वरी, भाषा	रा0उ0प्रा0वि0 पाबौ (उच्चै0)	रा0उ0प्रा0वि0 चैड़, पाबौ	दुर्गम से दुर्गम
20	महिपाल सिंह, भाषा	रा0उ0प्रा0वि0 बगरखाल, रिखणीखाल	रा0उ0प्रा0वि0 किमोली, कल्जीखाल	दुर्गम से दुर्गम
21	मनोज कुमार ध्यानी, विज्ञान/गणित	रा0उ0प्रा0वि0 भैस्वाड़ा, बीरौंखाल	रा0उ0प्रा0वि0 बसई कठवाड़ा, जयहरीखाल	दुर्गम से दुर्गम
22	अनिल कुमार चमोली, भाषा	रा0उ0प्रा0वि0 कोठी, कोट	रा0उ0प्रा0वि0 जामरी, कोट	दुर्गम से दुर्गम
23	आशीष पुण्डरी, विज्ञान/गणित	रा0उ0प्रा0वि0 भाकण्ड, बीरौंखाल	रा0उ0प्रा0वि0 र्वीठगांव, द्वारीखाल	दुर्गम से दुर्गम
24	हरी सिंह, भाषा	रा0उ0प्रा0वि0 ताल, पाबौ	रा0उ0प्रा0वि0 क्यार्ड, पाबौ	दुर्गम से दुर्गम
25	माधव सिंह गुसाई, भाषा	रा0उ0प्रा0वि0 डबराड़, रिखणीखाल	रा0उ0प्रा0वि0 पाटली, द्वारीखाल	दुर्गम से दुर्गम
26	चन्द्रबल्लभ सुन्दरियाल, विज्ञान/गणित	रा0उ0प्रा0वि0 कमेड़ा, नैनीडांडा	रा0उ0प्रा0वि0 जगदेई, नैनीडांडा	दुर्गम से दुर्गम
27	सतेन्द्र सिंह पुण्डरी, विज्ञान/गणित	रा0उ0प्रा0वि0 गवांगा, पोखड़ा	रा0उ0प्रा0वि0 पलाई, कल्जीखाल	दुर्गम से दुर्गम
28	कमलेश्वरानन्द सुन्दरियाल, भाषा	रा0उ0प्रा0वि0 ड्वीलाखाल, पोखड़ा	रा0उ0प्रा0वि0 भैडगांव, एकेश्वर	दुर्गम से दुर्गम
29	मनोज कुमार जखमोला, विज्ञान/गणित	रा0उ0प्रा0वि0 कोलरी, बीरौंखाल	रा0उ0प्रा0वि0 बगरखाल, रिखणीखाल	दुर्गम से दुर्गम
30	कृष्णबल्लभ गोदियाल, विज्ञान/गणित	रा0उ0प्रा0वि0 खाल्युंधार, खिर्सू	रा0उ0प्रा0वि0 सलौन, थलीसैण	दुर्गम से दुर्गम
31	ममता रावत, भाषा	रा0उ0प्रा0वि0 कण्डीवट, कोट	रा0उ0प्रा0वि0 गूम, द्वारीखाल	सुगम से दुर्गम

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. समस्त स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकायें स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत स्थानांतरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले शिक्षक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
5. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।



  
 (नागेन्द्र बर्त्वाल)  
 जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)  
 गढवाल।

पृ0सं0/04 बे0स्थाप0/2709-2721 /स्थाना0/2024-25 दिनांक उक्तवर्त।

- प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- जिलाधिकारी गढवाल।
  - 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।



- 3- अपरजिलाधिकारी पौड़ी।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 5- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौड़ी गढवाल।
- 6- जिला पर्यटन विकास अधिकारी जनपद पौड़ी।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 8- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 10- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। यदि स्थानांतरण के कारण कोई एकल विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो ऐसे स्थानांतरित अध्यापकों को उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती/नियुक्ति होने तक कार्यमुक्त न किया जाय।
- 11- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 12- स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बंधित विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 13- कार्यालय पत्रावली।

  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढवाल।  


**कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।**  
 आदेश संख्या/०४बे०स्थाप०/ 125 /स्थाना०/२०२४-२५ दिनांक 19 जुलाई 2024  
**अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के प्राविधानानुसार स्थानांतरण सत्र 2024-25 हेतु गठित विभागीय स्थानांतरण समिति की संस्तुति तथा शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक व सतकर्तता अनुभाग-2, दिनांक 14 मार्च 2024, शासनादेश संख्या/221278/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024 एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक/विविध/2116-22/स्था०बैठक/2024-25 दिनांक 02.05.2024 के क्रम में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/प्रा०शि०-दो(5)/770-2024/19605-15/2023-24 दिनांक 16 मार्च 2024 एवं पत्रांक-1344-46 दिनांक 04 मई 2024 तथा सचिव माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या/1016/XXIV-B-1/24/07(04)/2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 के अनुपालन में की गई कांउसिलिंग उपरान्त वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम-2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं का अनिवार्य स्थानांतरण दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में किया जाता है।


**स०अ०, रा०उ०प्रा०वि०**

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
1	2	3	4
1	विपिनचन्द्र पांथरी, सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० महादेवसैण, पोखड़ा	रा०उ०प्रा०वि० पल्लीगांव, रिखणीखाल
2	बालम सिंह, सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० सलौन, थलीसैण	रा०उ०प्रा०वि० पल्ली, थलीसैण
3	बीरेन्द्र सिंह रावत, विज्ञान/गणित	रा०उ०प्रा०वि० गुनियाल, जयहरीखाल	रा०उ०प्रा०वि० गुमाई, पौड़ी
4	नरेशचन्द्र, भाषा	रा०उ०प्रा०वि० हतनूड, द्वारीखाल	रा०उ०प्रा०वि० नैलगुजराड़ा, यमकेश्वर
5	दीपा रावत, भाषा	रा०उ०प्रा०वि० किनाथखाल, नैनीडांडा	रा०उ०प्रा०वि० गिरगांव, पौड़ी
6	अनीता शाह, भाषा	रा०उ०प्रा०वि० जुयालगांव, द्वारीखाल	रा०उ०प्रा०वि० पल्लीगांव, रिखणीखाल
7	रमेशचन्द्र बडोला, भाषा	रा०उ०प्रा०वि० कैन्चूर, थलीसैण	रा०उ०प्रा०वि० धरासू, एकेश्वर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

- समस्त स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकायें स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत स्थानांतरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- अवमुक्त होने वाले शिक्षक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।



उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

  
 (नागेन्द्र बर्त्वाल)  
 जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
 पौड़ी गढ़वाल।

पृ०सं०/०४ बे०स्थाप०/ 2722-2734 /स्थाना०/२०२४-२५ दिनांक उक्तवत्।  
 प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।

- 3- अपरजिलाधिकारी पौड़ी।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 5- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौड़ी गढवाल।
- 6- जिला पर्यटन विकास अधिकारी जनपद पौड़ी।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 8- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 10- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। यदि स्थानांतरण के कारण कोई एकल विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो ऐसे स्थानांतरित अध्यापकों को उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती/नियुक्ति होने तक कार्यमुक्त न किया जाय।
- 11- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 12- स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बंधित विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 13- कार्यालय पत्रावली।

  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढवाल।  




**कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।**  
**आदेश संख्या/०४बे०स्थाप०/ 126 /स्थाना०/२०२४-२५ दिनांक 19 जुलाई 2024**  
**अनुरोध स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति तथा शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक व सतकर्तता अनुभाग-2, दिनांक 14 मार्च 2024, शासनादेश संख्या/221278/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024 एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक/विधि/2116-22/स्था०बैठक/2024-25 दिनांक 02.05.2024 के क्रम में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/प्रा०शि०-दो(5)/770-2024/19605-15/2023-24 दिनांक 16 मार्च 2024 एवं पत्रांक-1344-46 दिनांक 04 मई 2024 तथा सचिव माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या/1016/XXIV-B-1/24/07(04)/2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 के अनुपालन में की गई कांसिलिंग उपरान्त वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं का अनुरोध के आधार पर (निजी व्यय) उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में स्थानान्तरित किया जाता है।


**प्रा०अ०, रा०उ०प्रा०वि०**

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/विषय	कार्यरत विद्यालय/विकास खण्ड का नाम	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	
1	आनन्द सिंह	रा०उ०प्रा०वि० गुनियाल, जयहरीखाल	रा०उ०प्रा०वि० लोकमणीपुर, दुगड़डा	गम्भीर बीमारी
2	जगदम्बा प्रसाद कोटनाला	रा०उ०प्रा०वि० रेवा, रिखणीखाल	रा०उ०प्रा०वि० पुलिण्डा, दुगड़डा	पति-पत्नी
3	यशपाल सिंह रावत	रा०उ०प्रा०वि० काण्डई, थलीसैण	रा०उ०प्रा०वि० बांसी, जयहरीखाल	वरिष्ठ कार्मिक
4	विनय कुमार गिरी	रा०उ०प्रा०वि० खाण्डा, कोट	रा०उ०प्रा०वि० चन्दोलारांई, पौड़ी	वरिष्ठ कार्मिक
5	सुदर्शन सिंह बिष्ट	रा०उ०प्रा०वि० धोबीघाट, बीरौखाल	रा०उ०प्रा०वि० सिसई, बीरौखाल	दुर्गम से दुर्गम
6	कृपाल यादव	रा०उ०प्रा०वि० हतनूड, द्वारीखाल	रा०उ०प्रा०वि० तिमल्याणी, यमकेश्वर	दुर्गम से दुर्गम

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

- समस्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकायें स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- अवमुक्त होने वाले शिक्षक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।



  
 (नागेन्द्र बर्त्वाल)  
 जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
 पौड़ी गढ़वाल।

प०सं०/०४ बे०स्थाप०/ 2 न 35-2747/स्थाना०/२०२४-२५ दिनांक उक्तवत्।

- प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- जिलाधिकारी गढ़वाल।
  - महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
  - अपरजिलाधिकारी पौड़ी।
  - निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।



- 5- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल पौड़ी गढवाल।
- 6- जिला पर्यटन विकास अधिकारी जनपद पौड़ी।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 8- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 10- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। यदि स्थानांतरण के कारण कोई एकल विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो ऐसे स्थानांतरित अध्यापकों को उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती/नियुक्ति होने तक कार्यमुक्त न किया जाय।
- 11- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 12- स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बंधित विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 13- कार्यालय पत्रावली।

  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढवाल।  


**कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।**  
आदेश संख्या/०४बे०स्थाप०/ 127 /स्थाना०/२०२४-२५ दिनांक 19 जुलाई 2024  
**अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति तथा शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक व सतकर्तता अनुभाग-2, दिनांक 14 मार्च 2024, शासनादेश संख्या/221278/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून 2024 एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक/विविध/2116-22/स्था०बैठक/2024-25 दिनांक 02.05.2024 के क्रम में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/प्रा०शि०-दो(5)/770-2024/19605-15/2023-24 दिनांक 16 मार्च 2024 एवं पत्रांक-1344-46 दिनांक 04 मई 2024 तथा सचिव माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या/1016/XXIV-B-1/24/07(04)/2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 के अनुपालन में की गई कांउसिलिंग उपरान्त वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं का अनिवार्य स्थानान्तरण दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में किया जाता है।

**प्रा०आ०, रा०उ०प्रा०वि०**

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
1	2	3	4
1	विनोद कुमार पंत	रा०उ०प्रा०वि० पठोलगांव, पोखड़ा	रा०उ०प्रा०वि० गूमखाल, द्वारीखाल
2	आनन्द प्रकाश कुकरेती	रा०उ०प्रा०वि० हंसेश्वर महादेव, थलीसैण	रा०उ०प्रा०वि० सबधरखाल, कोट
3	मोहन सिंह	रा०उ०प्रा०वि० रीशी, पाबौ	रा०उ०प्रा०वि० खोलाचौरी, कोट

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

- समस्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकायें स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- अवमुक्त होने वाले शिक्षक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(नागेन्द्र बर्त्वाल)  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)

पौड़ी गढ़वाल।


पृ०सं०/०४ बे०स्थाप०/ 2748-2768 /स्थाना०/२०२४-२५ दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:-

- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- अपरजिलाधिकारी पौड़ी।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- जिला पर्यटन विकास अधिकारी जनपद पौड़ी।



- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 8- सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 10- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। यदि स्थानांतरण के कारण कोई एकल विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो ऐसे स्थानांतरित अध्यापकों को उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती/नियुक्ति होने तक कार्यमुक्त न किया जाय।
- 11- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 12- स्थानांतरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 13- कार्यालय पत्रावली।

  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।